621

पत्र संख्या-एम-4-07/2018(खण्ड-I)...2858.../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

मुकेश कुमार लाल,
विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक-20-03-2023

विषयः- **GeM Pool Account (GPA) Payment Mode के अंतर्गत GeM Portal से सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु बैंकों के साथ MoU करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि राज्य में GeM Portal के माध्यम से सामग्रियों एवं सेवाओं के अधिप्राप्ति हेतु ICICI बैंक में State GeM Pool Account (SGPA) खोल कर अग्रेतर कार्रवाई की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी । Director, Buyer Management Division, (State and UTs) GeM, New Delhi के E-mail दिनांक-24.11.2022 द्वारा SGPA की विशेष व्यवस्था को पूर्णरूपेण समाप्त करते हुए GeM Pool Account (GPA) Payment Mode अपनाये जाने का अनुरोध किया गया । जिसके अनुपालन में निर्गत विभागीय आदेश सं०-2824 दिनांक-17.03.2023 द्वारा राज्य में GeM Pool Account (GPA) Payment Mode दिनांक-01.04.2023 से प्रभावी हो जायेंगे ।

GPA Payment Mode के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु दो विकल्प यथा, चालान मॉडल एवं नन-चालान मॉडल उपलब्ध है । **चालान मॉडल** में वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय की राशि चालान के माध्यम से एवं ए०सी० बिल के द्वारा GeM Pool Account में स्थानांतरित हो सकेगी । **नन-चालान मॉडल** की व्यवस्था एक प्रकार का wallet account है जिसमें संबंधित विभाग अथवा कार्यालय समय-समय पर एकमुश्त राशि स्थानांतरित कर सकती है एवं wallet account में उपलब्ध राशि के सापेक्ष वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रयादेश निर्गत कर सकती है ।

तद्नुसार समस्त विभागों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसूची-2 में शामिल वाणिज्यिक बैंकों में से SBI, PNB, HDFC, ICICI, AXIS तथा YES बैंक में से किन्हीं तीन बैंकों के साथ MoU करने की सुविधा प्रदान की जाती है, ताकि प्रत्येक विभाग अपनी आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार बैंकों से MoU कर चालान अथवा नन-चालान मॉडल के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई कर सकें । इस क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि refund एवं unused amount तथा Tax Compliance की जिम्मेवारी भी संबंधित विभाग/कार्यालय की होगी ।

अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु GPA Payment Mode के तहत नियमानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर)
(मुकेश कुमार लाल)
विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः-एम-4-7/2018(खण्ड-I)...2858.../वि०, पटना, दिनांक 20-03-2023

प्रतिलिपिः-प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर)
विशेष सचिव ।

Sec-4/232

620

ज्ञापांकः-एम-4-7/2018(खण्ड-I) 2858 /वि०, पटना, दिनांक 20-03-2023

प्रतिलिपिः-श्री प्रशांत कुमार सिंह, CEO, GeM (SPV), जीवन तारा बिल्डिंग, 5-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001/**मो०जमील, उपायुक्त (वि०प्र०), नोडल पदाधिकारी, GeM,** वित्त विभाग, बिहार, पटना/**मो० इम्तियाज अंसारी/श्री विनीत झा, क्षेत्रीय प्रबंधक,** GeM, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विशेष सचिव ।

Sec-4/233